



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

विनोद वैद्य
Vinod Vaidya
सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)
Assistant Registrar (Campus Development)

दूरभाष / Phone : +91-7152-232669
मोबाईल / Mob. : 09823499988
फैक्स / Fax : +91-7152-232669
क्रमांक: 34/2017-18/Shopping Complex/370
दिनांक: 07.02.2018

दुकान आबंटन हेतु सूचना-2

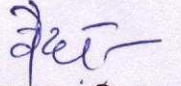
विश्वविद्यालय परिसर के नजीर हाट स्थित निम्नानुसार कुछ खाली दुकानों का आबंटन किया जाना है:-

खाली दुकानों क्रमांक	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम दर (प्रति वर्ग फिट)	टिप्पणी
01.	118.79	05.00	अधिकतम दर देने वाले को दुकाने आबंटित की जाएगी।
02.	118.79	05.00	
03.	129.12	05.00	
04.	86.04	05.00	
05.	766.00 (होटल हेतु)	05.00	

1. दुकानों हेतु आवेदन दिनांक 19.02.2018 (सोमवार) अपराह्न 05:00 बजे तक किया जा सकता है।
2. सीलबंद आवेदन कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अथवा स्वयं केंद्रीकृत डाक विभाग में कार्यालयीन दिवसोंमें ही स्वीकार्य होगा। लिफाफे पर “दुकान हेतु आवेदन” स्पष्ट लिखा हुआ हो।
3. आवेदन के साथ- उद्देश्य, आवेदक का पूर्ण पता (प्रमाण के साथ) स्पष्ट लिखा हुआ हो।
4. दुकान का आबंटन प्रथमतः 02 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 05 वर्ष की अवधि (दो वर्ष बाद दर वर्ष 10% किराए में वृद्धि करते हुए) तक बढ़ाया जा सकता है।
5. दुकान हेतु बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था होगी। बिजली की दर Maharashtra State Electricity Distribution Co. LTD., की व्यावसायिक दर के अनुसार प्रतिमाह संबंधित द्वारा विश्वविद्यालय को देय होगा।
6. होटल हेतु पानी शुल्क रु.250/- (दो सौ पचास रुपये मात्र) एवं अन्य प्रयोग की दुकानों हेतु रु.50/- (पचास रुपये मात्र) प्रति माह की दर से पानी का शुल्क अलग से देय होगा।

कृ.प.उ.

7. आबंटित दुकान सुबह 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार खुला रखना होगा।
8. आबंटित होटल/दुकान के संचालकों को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम, वर्धा पुलिस के लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं होटल/दुकान में नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होटल/दुकान आबंटी द्वारा स्वयं सुनिश्चित करना होगा।
9. आबंटी व्यक्ति किसी अन्य को परिसर में होटल/दुकान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए दुकान खोलने की अनुमति मांगी गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य परिवर्तन से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
10. सुरक्षा राशि के रूप में आबंटन के समय आबंटी को 10 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर की राशि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में संबंधित सूचना प्राप्ति के 07 कार्यालयीन दिवसों के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. उक्त किसी भी शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।


(सहायक कुलसचिव)

प्रतिलिपि/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
1. वित्ताधिकारी कार्यालय
2. जन सम्पर्क अधिकारी को, (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
3. संबंधित पत्रावली